न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी बीना महावर आर.ए.एस.)

अपील संख्या 12/2016

1—श्रीमती बत्तो बेबा । निहाली जाति गुर्जर निवासी बन्ध बारैठा
2—मुकेश पुत्र । तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 16.11.2015

———————

उपस्थित :—
1—श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक अपीलान्टस,
2— राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 29.10.2020**

अपीलान्ट ने यह अपील वखिलाफ रेस्पो0 तहसीलदार बयाना आदेश दिनांक 16.11.2015 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2015 में अपीलान्ट अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 3413 के रकवा में से 0.01 हे0 गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर किये गये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने पेनल्टी कायम किये जाने एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

.....2

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट की है। विवादित आराजी से लगी अपीलांटस की आबादी की भूमि है जिसे अपीलान्टस आवासीय प्रयोग में लेता है। इस भूमि पर अपीलान्ट के पुस्तैनी मकानात बनये हुये हैं। उनका यह भी तर्क है कि तहत न्यायालय ने विवादित आराजी की कोई पैमाईस वगैरा नहीं की है। अपीलान्ट को पाश्चतवर्ती अतिक्रमी होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य बेदखली करने बाबत कोई रिकार्ड नहीं लिया गया है, सजा करने का जो आदेश दिया गया है वह भी गलत है। उनका यह भी कथन है कि बाद पैमाईस अगर विवादित आराजी पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो वह छोड़ने को तैयार है। दौराने बहस अपीलान्ट बत्तो की ओर से एक शपथ पत्र इस आश्य का पेश किया गया कि उसने व उसके पुत्र ने विवादित आराजी से अतिक्रमण हटा लिया है जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अन्तमें अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्टस मॉ और बेटे ने राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी अपीलान्टस पाश्चतवर्ती अतिक्रमी हैं तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभ पक्ष के कथनों पर गौर किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 34 बत्तो वगै0 बनाम सरकार के रकवा में से अपीलान्टस ने रकवा 0.01 हे0 ग्रा

बंध बारेठा तहसील बयाना पर कब्जा कर अतिक्रमण किया है। तहसीलदा
बयाना द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये विधिवत आदेश पारित किया है
यह तथ्य अपीलान्ट श्रीमती बत्तो द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत शपथ पत्र से
सिद्ध है जिसमें अपीलान्ट श्रीमती बत्तो ने विवादित आराजी पर किये ग
अतिक्रमण को हटा लेने बाबत उल्लेख किया है। इससे यह तो निर्विवाद है
अपीलान्टस ने विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया गया है तथा पाश्चव
अतिक्रमी हैं। चूँकि श्रीमती बत्तो ने किये गये अतिक्रमण हटा लिया है इसि
अपीलान्ट के प्रति नरम रुख रखते हुये अपीलाधीन आदेश में से मात्र सि
कारावास सजा को निरस्त जाना उचित पाते हैं। शेष आदेश यथावत रहे
अस्तु अपील अपीलान्टस आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टस आंशिक रुप से
प्रकार स्वीकार की जाती है कि तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन
दिनांक 16.11.2015 में से केवल अपीलान्ट की सिविल कारावास सज
निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय प्रति के साथ
पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को सुना गया।

(बीना महावर
अतिरिक्त जिला क
भरतपुर